

कार्यालय वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

(दूरभाष/फैक्स सं०-05942&235452 e-mail:- cf_skumaon@rediffmail.com)

G20

पत्रांक:- 115 /12-1 दिनांक: नैनीताल, 19, जुलाई, 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत बजून फगुनियाखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.70 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल का पत्रांक- 190/12-1 दिनांक 14.07.2023.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक प्रस्ताव पर आपत्तियां लगायी गयी थी, जिनका प्रतिउत्तर प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	In reply to point no. 2 and 3 of this EDS dated 19.01.2023 the state Govt. not done any necessary correction in online portal. Hence, the state Govt. is requested to do the necessary correction at Para-J of online part- I	प्रभागीय वनाधिकारी के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पाइन्ट नं० 2 एवं 3 में ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
2	State Govt. is requested to mark the location of villages to be benefitted in the KML files	प्रभागीय वनाधिकारी के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि KML File पर लाभान्वित ग्रामों को प्रदर्शित कर दिया गया है।
3	In reply to point 3 of the EDS dt. 19.01.2023, the state Govt. stated that the proposed road is extended beyond the location of target village because the another road up to village "Kotali" is already been sanctioned and under process for preparation of proposal of forest diversion. In this regard the state Govt is requested to depict the Kotali village to the KML File and provide the copy of administrative approval for this road along with the status of forest case for the same road up to kotli village.	प्रभागीय वनाधिकारी के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयांकित मार्ग की स्वीकृति दिनांक 24.12.2006 को प्राप्त है। तदोपरान्त मार्ग का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर वन भूमि प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया गया। बार-बार आपत्तियों में आने के कारण प्रस्ताव लम्बित रहा। इस मार्ग के आगे कोटली तक मार्ग की स्वीकृति मार्च, 2023 में प्राप्त हुई है। शासनादेश की प्रति संलग्न है।

4	<p>The State Govt. is requested to clarify that "Why it is not possible to make a consolidated proposal of both the routes?"</p>	<p>प्रभागीय वनाधिकारी के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव काफी पूर्व से गठित है। कोटली तक स्वीकृत मोटर मार्ग का अभी सर्वेक्षण कार्य किया जाना है। सर्वेक्षण कार्य एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि चयन कार्य करने में अत्यधिक समय लगेगा, जिस कारण पूर्व गठित प्रस्ताव बजून फगुनियाखेत मोटर मार्ग के प्रस्ताव की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब होगा, जिस कारण व्यापक जनहित प्रभावित होगा। विषयांकित मार्ग के निर्माण हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधि काफी लम्बे समय से मांग कर रहे हैं। प्रस्ताव की स्वीकृति में विलम्ब होने से स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों में काफी रोष व्याप्त है।</p> <p>अतः उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम कोटली को जोड़ते हुए संयुक्त प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जाना न्यायोचित नहीं है, जिसका प्रस्ताव अलग से प्रेषित किया जायेगा।</p>
---	--	--

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(टी0आर0 बीजूलाल)

वन संरक्षक

दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड नैनीताल।

पत्रांक 115 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(टी0आर0 बीजूलाल)

वन संरक्षक

दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड नैनीताल।

o/c

प्रेषक,

विनीता कुमार,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

पुरुष अशिरान्त,
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 13 मार्च, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल के अंतर्गत 02 निर्माण कार्यों (पूथम चरण) की पूंशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अशिरान्त, तो.नि.वि., देहरादून द्वारा विषयगत संलग्न कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये आगणनों (पूथम चरण), जिनकी कुल लागत ₹ 103.05 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹11.25 लाख (₹ ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) की पूंशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति कार्य व्यय हेतु ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 02 कार्यों हेतु ₹0.20 लाख (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की गमनीय श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008, दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- आगणन में उल्लिखित टरों का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अशिरान्त द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित टरों के सापेक्ष जो टरे शेड्यूल ऑफ टेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा चरम भाव से ती गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अशिरान्त का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय हो जितना की स्वीकृत नार्म हैं] स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाया यदि पूथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रवर्तित टरों/निशिक्षितों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पत्ति कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय दस्त पुस्तक में सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोचयोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उद्देश्य के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उत्तमानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी. भूमि अधिग्रहण, रूटिनिटी शिपिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथाशक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुरंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी धनराशि से किया जायेगा।
- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अशिरान्त का होगा।
- वर्तमान में व्यय हेतु अव्ययता की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अनिश्चित धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय समत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- यदि स्वीकृत किया जा रहा कार्य प्राथमिकी ग्रीष्मिण सड़क योजनाअन्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्राथमिकी ग्रीष्मिण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- उक्त कार्य हेतु लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-383/III(1)/19-190 (PWD) 01टीसी-11 दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में दोने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान स 0-22, लेखाशीर्षक-5054 राइकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिचय -04 जिला तथा अन्य राइकों -337 राइक निर्माण कार्य-03 राज्य रोड-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृद्ध निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से रधानांतरित) के नामों डाखा जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजाल संख्या -1/103330/2023, दिनांक 01 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक-सथोपरि।

भवदीय,
Signed by Vineel Kumar

Date: 03-03-2023 15:27:22

अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव- प्रमुख सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. ढल्ढानी।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ क्लर्क/अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
10. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय प्ल, लो.नि.वि., नैनीताल।
11. अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो. नि. वि., नैनीताल।
12. गार्ड फाईल।

श्याम सिंह
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या- दिनांक मार्च, 2023 का संलग्नक

:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी०में)	शासन अनुमोदित लागत (₹ लाख में)	द्वारा (₹ लाख में)	बालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि (₹ लाख में)
1.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र- नैनीताल में बज्जल-फगुनियाखेत मोटर मार्ग से तोक कोटली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	5.00	7.50		0.10
2.	राज्य योजना के अंतर्गत	2.50	3.75		0.10

जन्मपट लैनीताल के विधानसभा क्षेत्र- लैनीताल में मवाली-अल्मोड़ा मोटर मार्ग (एल०एच०-४७) के कि०मी० १४ से ग्राम सभा मवाला निगल्लाट के लोक गैरस्थान तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।			
योग-	7.50	11.25	0.20

(रुपयों हजार मात्र)

Signed by Shyam Singh
Date: 03-03-2023 17:08:08

श्याम सिंह
संयुक्त सचिव